न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— यशवन्त मीना (आर0 ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 5/2023

1—रामवीर पुत्र रामखिलाड़ी जाति त्यागी निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राजस्थान

................प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

.............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र आधीन धारा 131 भू0राज0अधिनियम
वास्ते संशोधन तरमीम नक्शा अक्स

उपस्थिति— 1—श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे एडवोकेट— प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 20.09.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम दुरस्ती किये जाने बाबत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 731/309 रकवा 0.1265 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी अंकित राजस्व अभिलेख स्थित ग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर है। जो गांव की आबादी से लगी हुई है जिसमें प्रार्थी के अपने पिता स्वर्गीय रामखिलाड़ी पुत्र प्रतापसिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम मूसलपुर से ग्राम पंचायत से निर्माण मंजूरी सन् 1996 प्राप्त की तथा उस पर पुख्ता मकान का निर्माण कराया तभी से प्रार्थी उपरोक्त मकान में निरन्तर निर्वाद रूप से निवास करता आ रहा है और वर्तमान में भी कर रहा है। उपरोक्त आबादी भूमि खसरा नम्बर 309 का अंश है। जिसमें 731/309 नया नम्बर कायम किया गया है। उक्त नया नम्बर 731/309 गांव आबादी से लगा हुआ बजानिब पूर्व उत्तर की ओर स्थित है जबकि नक्शा अक्स में उपरोक्त नम्बर 731/309 की तरमीम बजानिब पूर्व उत्तर की बजाय बजानिब उत्तर पश्चिम में कर दिया है जो मुताबिक मौका पर्चा गलत है। उपरोक्त कृषि भूमि में ग्राम पंचायत के निवेदन पर राजस्व अधिकारी भू0अभिलेख निरीक्षक महोदय, हल्का पटवारी, सरपंच ग्राम पंचायत मूसलपुर एवं ग्राम विकास अधिकारी मूसलपुर की मौजूदगी में दिनांक 23.03.2022 को पैमाईश कर पर्चा मौका तैयार किया गया जिसके अनुसार उपरोक्त आबादी भूमि के खसरा नम्बर 731/309 में पिछले 40 वर्ष से प्रार्थी एवं पिता रामखिलाड़ी तथा अन्य लोग भरतसिंह, खडेरा, सियाराम गौड़, अजमेर खान, तेजसिंह, फूलसिंह त्यागी के मकान स्थापित पाये गये तथा पूर्व दिशा की ओर सी.सी. खरंजा स्थित है एवं दक्षिण में चबूतरा बालाजी एवं महादेव परिवार एवं बंगाली त्यागी के मकान के सामने सी.सी.खरंजा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा डलवाया गया है और उसी अनुसार मौके पर निशानात कायम किये गये। उपरोक्त परिस्थितियों में विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख नक्शा अंश में अंकित गलत तरमीम को मुताबिक मौका एवं पर्चा मौका के संशोधित किया जाना खसरा संख्या 731/309 को उत्तर पश्चिम की बजाय पूर्व उत्तर की ओर तरमीम किया जाना आवश्यक एवं संगत है जो अपेक्षित है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

अभिलेख में नक्शा अक्स में अंकित गलत तरमीम को संशोधित किया जाकर आबादी की ओर लगा हुआ गै.मु. आबादी का खसरा संख्या 731/309 बजानिव उत्तर पूर्व में संशोधित कर मुताबिक मौका संशोधन कराये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जबाब तहसीलदार सैपऊ से तलब किया गया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्र क्रमांकःराजस्व/2023/287 दिनांक 11.08.2023 द्वारा जबाब मय प्रस्तावित तरमीम नक्शा प्रस्तुत किया गया।

विद्वान प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहरात हुये कथन किया कि विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड नक्शा अक्स में हो रही ग़लत तरमीम को दुरस्त कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सैंपऊ पुनः संशोधित तरमीम किये जाने जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सैंपऊ द्वारा प्रस्तुत जबाब अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 731/309 रकवा 0.1265 हैक्टेयर गै.मु आबादी वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड है एवं निर्माण की स्वीकृति ली गई है। खसरा नम्बर 309 ग्राम आबादी के खसरा नम्बर 420 के दक्षिण में स्थित है। जिसमें वर्ष 1975 में बसी हुई आबादी विस्तारित की गई थी। ऑनलाईन जमाबन्दी एवं नक्शा बनाते समय सहवन से गलत तरमीम हो गई है। खसरा नम्बर 731/309 रकवा 0.1265 हैक्टेयर वाकेग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ की वर्तमान में हो रही तरमीम को निरस्त कर प्रस्तावित नक्शा अक्स के अनुसार पुनः संशोधित तरमीम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मौका पर्चा तारीखी 23.03.2022 द्वारा भी प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। पूर्व में जिस स्थान पर खसरा नम्बर 731/309 की तरमीम हो रही है उस स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सी.सी. खरंजा मौके पर मौजूद है। अतः जिस स्थान पर आबादी बसी हुई है उस स्थान पर संशोधित तरमीम किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नम्बर 731/309 वाकेग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में किस्म गै.मु. आबादी की पूर्व में हो रही तरमीम को निरस्त किया जाता है। तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सैंपऊ प्रस्तावित नक्शा अनुसार पूर्व में हो रही खसरा नम्बर 731/309 की आबादी की पूर्व में हो रही तरमीम के स्थान पर बजानिव उत्तर पूर्व की ओर संशोधित तरमीम की जावे। तद्नुसार ही तहसीलदार सैंपऊ द्वारा राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ